

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

मांग संख्या 94

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	4431.35	408.01	4839.36	4459.90	445.88	4905.78	4254.10	430.08	4684.18	4342.35	474.37	4816.72	
पूँजी	3.60	...	3.60	18.10	...	18.10	5.22	...	5.22	10.15	...	10.15	
जोड़	4434.95	408.01	4842.96	4478.00	445.88	4923.88	4259.32	430.08	4689.40	4352.50	474.37	4826.87	
सांख्यिकी													
1. सचिवालय – आर्थिक सेवा	3451	...	16.74	16.74	...	19.24	19.24	...	15.90	15.90	...	17.50	17.50
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी													
2. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण	3454	...	225.84	225.84	...	244.96	244.96	...	229.12	229.12	...	252.60	252.60
3. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन	3454	92.69	25.47	118.16	149.64	28.49	178.13	100.37	23.33	123.70	118.86	25.90	144.76
4. भारतीय सांख्यिकीय संस्थान	3454	38.66	127.96	166.62	100.00	139.99	239.99	38.97	148.92	187.89	126.00	164.17	290.17
5. कार्यक्रम कार्यान्वयन	3454	3.18	...	3.18	9.00	...	9.00	5.09	...	5.09
6. आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी													
6.01 आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी – सामान्य घटक	3454	...	6.82	6.82	...	7.50	7.50	...	7.20	7.20	...	8.00	8.00
	3601	357.04	...	357.04	124.63	...	124.63	112.90	...	112.90	70.64	...	70.64
	3602	2.78	...	2.78	3.55	...	3.55	1.40	...	1.40
	5475	3.60	...	3.60	18.10	...	18.10	5.22	...	5.22	10.15	...	10.15
जोड़		363.42	6.82	370.24	146.28	7.50	153.78	118.12	7.20	125.32	82.19	8.00	90.19
6.02 आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी – ईएपी घटक	3601	70.08	...	70.08	15.14	...	15.14	33.60	...	33.60
	3602	0.20	...	0.20	1.60	...	1.60
जोड़		70.28	...	70.28	15.14	...	15.14	35.20	...	35.20
जोड़- आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी		363.42	6.82	370.24	216.56	7.50	224.06	133.26	7.20	140.46	117.39	8.00	125.39
7. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं / योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	44.68	...	44.68	26.77	...	26.77	35.45	...	35.45
8. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए ईएपी घटक	2552	8.12	...	8.12	4.86	...	4.86	4.80	...	4.80
जोड़-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी		497.95	386.09	884.04	528.00	420.94	948.94	309.32	408.57	717.89	402.50	450.67	853.17

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
जोड़-सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन													
9. सचिवालय - सामान्य सेवाएं	2052	...	5.18	5.18	...	5.70	5.70	...	5.61	5.61	...	6.20	6.20
अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम													
10. राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता - विशेष केन्द्रीय सहायता													
10.01 संसद सदस्यों के स्थानीय क्षेत्रों के लिए विकास योजना	2553	3937.00	...	3937.00	3950.00	...	3950.00	3950.00	...	3950.00	3950.00	...	3950.00
कुल जोड़		4434.95	408.01	4842.96	4478.00	445.88	4923.88	4259.32	430.08	4689.40	4352.50	474.37	4826.87
विकास शीर्ष		बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय केन्द्रीय योजना:													
1. जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	13454	497.95	...	497.95	475.20	...	475.20	277.69	...	277.69	362.25	...	362.25
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	52.80	...	52.80	31.63	...	31.63	40.25	...	40.25
जोड़ - केन्द्रीय योजना		497.95	...	497.95	528.00	...	528.00	309.32	...	309.32	402.50	...	402.50
राज्य योजना:													
1. अन्य विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रम	43601	3937.00	...	3937.00	3950.00	...	3950.00	3950.00	...	3950.00	3950.00	...	3950.00
जोड़ - राज्य योजना		3937.00	...	3937.00	3950.00	...	3950.00	3950.00	...	3950.00	3950.00	...	3950.00
जोड़		4434.95	...	4434.95	4478.00	...	4478.00	4259.32	...	4259.32	4352.50	...	4352.50

1. **सचिवालय आर्थिक सेवा:** मंत्रालय और राज्य मंत्री, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के कार्यालय के सचिवालयीन व्ययों के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन:** राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का संबंध आंकड़ा संग्रहण के लिए एक समुचित तथा बुनियादी रूप से जुड़े कार्यक्रम का विकास करने से है, जो कि नीति निर्माण के लिए सांख्यिकी में आंकड़ा अंतराल को भरने के लिए बनाया गया है। यह आंकड़ों के अनुपूरक संग्रहण के द्वारा अन्य मंत्रालयों और एजेंसियों की ओर से आंकड़ों के संग्रहण और सारणीयन का कार्य भी करता है। हालांकि एनएसएसओ के विभागीय कैटीन का प्रावधान इसमें सम्मिलित नहीं है।

3. **केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन:** केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के लिए प्रावधान किया गया है जो कि मानकीकरण बनाने, राष्ट्रीय लेख तैयार करने, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण पर रिपोर्टें प्रकाशित करने और भारत में सांख्यिकी प्रणाली के आधुनिकीकरण आदि के रीतिविधान कार्यों सहित कार्य प्रणाली के लिए जिम्मेदार है। संगणक केंद्र की योजना व्यय के तहत आवश्यकताओं को भी वित्त वर्ष 12-13 से इसमें सम्मिलित किया गया है।

4. **भारतीय सांख्यिकीय संस्थान:** भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, अनुसंधान, प्रशिक्षण और सांख्यिकी के व्यावहारिक अनुप्रयोगों के समन्वित कार्यक्रम चलाता है। इस संस्थान का वित्त पोषण लगभग पूर्णतः सरकार द्वारा अनुदान सहायता से किया जाता है।

5. **कार्यक्रम कार्यान्वयन:** कार्यक्रम कार्यान्वयन के योजना व्यय को क्षमता विकास के साथ विलयित कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा लोक निधि स्कीमों/कार्यक्रमों को सुसंगत बनाते समय कार्यक्रम कार्यान्वयन की परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए क्षमता विकास सुदृढीकरण, निगरानी एवं मूल्यांकन स्कीम को समाप्त कर दिया गया है।

6.01. **आर्थिक सलाह एवं सांख्यिकी:** संगणक केन्द्र के लिए प्रावधान किया गया है जो मुख्यतया सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की आंकड़ा प्रसंस्करण संबंधी जरूरतों को देखता है। इसमें विभागीय कैटीन (सीएओ तथा

एनएसएसओ दोनों), के वेतन संबंधी व्यय को पूरा करने, आंतरिक अंशदान और आईएआरएनआईडब्ल्यू को सहायता अनुदान का प्रावधान है।

6.02. **ईएपी घटक:** यह प्रावधान आईएसएसपी के ईएपी घटक के लिए है (2014-15 से आईएसएसपी और वीएसएलएलडी का विलय कर सांख्यिकीय सुदृढीकरण के लिए सहयोग बनाया गया)।

7. **पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान:** पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान किया गया है।

8. **पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए ईएपी घटक:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आई एस एस पी के ईएपी घटक के लिए है (2014-15 से आईएसएसपी और वीएसएलएलडी का विलय कर सांख्यिकीय सुदृढीकरण के लिए सहयोग बनाया गया)।

9. **सचिवालय-सामान्य सेवा:** कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के सचिवालय के स्थापना-संबंधी व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

10.01. **सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना:** सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के लिए प्रावधान किया गया है और इसे राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के हिस्से के रूप में योजना में शामिल किया गया है।